Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 98: Procedure on receipt of application

(1) On receipt of an application, the Authority shall cause a copy thereof to be forwarded to the concerned officer and, if necessary, call upon him to furnish the relevant records:

Provided that where any records have been called for by the Authority in any case, such records shall, as soon as possible, be returned to the said concerned officer.

(2) The Authority may, after examining the application and the records called for and after hearing the applicant or his authorised representative and the concerned officer or his authorised representative, by order, either admit or reject the application:

Provided that the Authority shall not admit the application where the question raised in the application is already pending or decided in any proceedings in the case of an applicant under any of the provisions of this Act:

Provided further that no application shall be rejected under this subsection unless an opportunity of hearing has been given to the applicant:

Provided also that where the application is rejected, the reasons for such rejection shall be specified in the order.

- (3) A copy of every order made under sub-section (2) shall be sent to the applicant and to the concerned officer.
- (4) Where an application is admitted under sub-section (2), the Authority shall, after examining such further material as may be placed before it by the applicant or obtained by the Authority and after providing an opportunity of being heard to the applicant or his authorized representative as well as to the concerned officer or his authorised representative, pronounce its advance ruling on the question specified in the application.
- (5) Where the members of the Authority differ on any question on which the advance ruling is sought, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the Appellate Authority for hearing and decision on such question.
- (6) The Authority shall pronounce its advance ruling in writing within ninety days from the date of receipt of application.
- (7) A copy of the advance ruling pronounced by the Authority duly signed by the members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer after such pronouncement.

धारा 98 : आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया

(1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित् कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा:

परन्तु जहां किसी मामले में प्राधिकरण द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है वहां ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र उक्त संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा:

परन्तु प्राधिकरण वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा, जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को, आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

- (3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।
- (4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ग्रहण किया जाता है, वहां प्राधिकरण ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या जो प्राधिकरण द्वारा अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उदघोषणा की जाएगी।
- (5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मत का अंतर रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मत का अंतर रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को प्रतिनिर्देश करेंगे।
- (6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अपने अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।
- (7) उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।